अनुलग्नक-I

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के अनुसार उर्वरक विभाग को आवंटित विषयों की सूची

1. निर्दिष्ट मध्यस्त एजेंसी के माध्यम से उर्वरक के आयात समेत उर्वरक उत्पादन की योजना बनाना।

2. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आवंटन और आपूर्ति संयोजन।

3. यूरिया की प्रतिधारण कीमत निर्धारण, नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के रियायत की प्रमात्रा, ऐसे उर्वरकों का लागत निर्धारण और फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्य निर्धारण समेत नियंत्रित एवं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत स्कीमों को संचालित करना और राजसहायता का प्रबंधन।

4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 को लागू करना।

5. सहकारिता क्षेत्र नामत: कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड की इकाइयों में उर्वरक उत्पादन का प्रशासनिक उत्तरदायित्व।

6. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) का प्रशासनिक उत्तरदायित्व।